

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-04/2012 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना सं0-969, दिनांक 07.02.2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 19.09.2012 से 18.06.2014 तक कुल 21 (एक्कीस) माह के शिशु देखभाल अवकाश के क्रम में श्रीमती शोभा ओहटकर, भा0पु0से0 (1990), पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2014 से 06.10.2014 तक कुल 220 (दो सौ बीस) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश को पूर्ण वेतन पर 110 (एक सौ दस) दिनों के लिए चिकित्सा के आधार पर देय रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-04/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-04/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-04/2012 गृ0आ0 9372/पटना, दिनांक 10- नवम्बर, 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्रीमती शोभा ओहटकर, भा0पु0से0 (1990), पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव। 3/11/2014